

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्र. 393/एफ 2014-04-01385/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014
प्रति,


शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़.

विषय:- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 8 जनवरी 1991, ज्ञापन क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार, दिनांक 29 फरवरी, 1996 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/एल 2014-71-00165/वि/नि/चार, दिनांक 12 मई, 2014.

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 211/एल 2014-71-00165/वि/नि/चार, दिनांक 12 मई, 2014 द्वारा शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन दिनांक 25.09.2012 के अनुरूप निर्देश जारी किया गया है । उक्त ज्ञापन जारी होने की तिथि 12 मई, 2014 से प्रभावशील है ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त ज्ञापन को म.प्र. शासन के समान अर्थात् दिनांक 25.09.2012 से लागू किया जाए ।



(एस.के. चक्रवर्ती)


संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.394/एफ 2014-04-01385/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
 12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर ।
 13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
 15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
 17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
 18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
 19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
 20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(करूणा पाण्डेय)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

